प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुपालन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं, जो वर्ष 2015–16 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे भी हैं जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। अवधि 2015–16 के पश्चात् के मामलों को भी, जहां आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है ।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।